भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 447

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

राशन कार्ड धारकों के समक्ष आ रही परेशानियां

447. श्री इमरान मसूद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत जरूरतमंद आवेदकों द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन किए जाने के पश्चात् भी एक-दो वर्ष तक कार्ड नहीं बन पा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जन प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी कराए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत सर्वाधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है, इस प्रकार कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई को कवर किया जाता है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। इस अधिनियम के तहत काफी अधिक कवरेज है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, 81.35 करोड़ की अपेक्षित कवरेज की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केवल 80.67 करोड़ व्यक्तियों को ही चिह्नित किया है। फिर भी एनएफएसए के अंतर्गत 0.68 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को चिह्नित करने की संभावना है।

...2/-

इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का आकलन जनगणना के उस जनसंख्या अनुमानों के आधार पर किया जाएगा जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इसलिए, इस कवरेज में कोई संशोधन अगली जनगणना के संगत आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही संभव हो सकता है।

(ख) केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, लाभार्थियों की पहचान एवं उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए परामर्श जारी करती है। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन करने का कार्य कर रहे हैं ताकि फर्जी राशन कार्डों को हटाया जा सके और सही लाभार्थियों को बेहतर लक्षित करना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, इस अधिनियम के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाना तथा पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ): एनएफएसए में स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की कार्य-प्रणाली पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है। केन्द्र सरकार भी सामाजिक लेखा-परीक्षण को संचालित कर सकती है या ऐसे स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से करा सकती है जिनके पास लेखा-परीक्षण करने का अनुभव हो। इस अधिनियम में "सामाजिक लेखा-परीक्षण" को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार, अधिनियम में व्यक्तियों अथवा समुदाय द्वारा योजनाओं की निगरानी के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल हैं।

****